पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री ज्ञानचंद मांझी, स०वि०स० श्री विभाष चन्द्र चौधरी, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र मेहता, स०वि०स० श्री महेश पासवान, स०वि०स श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०	"सारण जिलान्तर्गत गड़खा प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न तरह के बीजों का किसानों के बीच वितरण किया गया है । इसमें और यांत्रिककरण मशीन में किसानों को अनुदान देने में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, गड़खा द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है । श्रीविधि योजना एवं मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना द्वारा जो बीज वितरण किया गया है, उस योजना में भी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, गड़खा द्वारा भारी मात्रा में काला बाजारी किया गया है तथा किसानों का जाली हस्ताक्षर एवं जाली अंगूठे का निशान दिखाया गया है । अत: वित्तीय वर्ष-2012-13 में बीज वितरण तथा यांत्रिककरण मशीनों का वितरण एवं अनुदान देने के मामले की जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

1	2	3	4
2.	श्री चन्द्रशेखर, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री राम लषण राम "रमण", स०वि०स० श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, स०वि०स० डॉ० रामानन्द यादव, स०वि०स०	"जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बड़े पैमाने पर कला एवं विज्ञान श्रेणी में अपने आदेश ज्ञापांक-2637 एवं 2638, दिनांक-25.09.2012 द्वारा शिक्षकों की प्रोन्नति का आदेश निर्गत किया गया, जिसमें वरीयता की अनदेखी की गई और मृत शिक्षकों तथा दंडात्मक शासित की अवधि में रहे शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई । शिकायत मिलने पर जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा उप विकास आयुक्त, बक्सर की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय समिति का गठन कर अनियमितता की जांच करवाई गई । जांच प्रतिवेदन में समिति ने अनियमितता को सही पाया और अपना प्रतिवेदन जिलाधिकारी को 29.11.2012 को समर्पित किया । जांच प्रतिवेदन पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त कर अपना मत गठित किया और पाया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रोन्नति देने में घोर अनियमितता बरती गई है । इस संबंध में जिलाधिकारी ने अपने पत्रांक-0/0001 मु० स्था०, दिनांक-24.01.2013 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित कर उन्हें दंडित करने की अनुशंसा की है जो शिक्षा विभाग में लंबित है । अत: हम जिलाधिकारी की अनुशंसा पर त्वरित कार्रवाई की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/13- 264 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/13- 264 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

13/3/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।